

बिहार सरकार
सामान्य प्रशासन विभाग

अधिसूचना

पटना -15, दिनांक : 11 सितम्बर, 2016

संख्या-1/सी०-1021/2016-सा०प्र०-12401/ श्री ल्यास जी, भा०प्र०से० (82),
प्रधान सचिव, राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग, बिहार, पटना (अतिरिक्त प्रभार-गिरेशक
दाकतंत्री, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार, पटना) द्वारा दिनांक
12.09.2016 के प्रभाव से रवैचित्रक सेवानिवृत्ति प्रहण किये जाने हेतु समर्पित आवेदन के
आलोक में प्रारंगिक प्रयोजन से तीन माह पूर्व सूचना दिये जाने के प्रावधान को क्षांत करते
हुए ऐयक्तिक कारणों से अखिल भारतीय सेवाये (मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति लाभ)
नियमावली, 1958 के नियम-16(2) के प्रावधानों के तहत दिनांक-12.09.2016 के प्रभाव
से भारतीय प्रशासनिक सेवा से रवैचित्रक सेवानिवृत्ति की स्वीकृति उन्हें प्रदान की जाती है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।

झापांक:-1/सी०-1021/2016-सा०प्र०- 12401 /पटना-15, दिनांक: 11 सितम्बर, 2016

प्रतिलिपि:- प्रभारी पदाधिकारी, ई-गजट कोषांग, वित्त विभाग, बिहार, पटना को
बिहार राजपत्र में प्रकाशनार्थ प्रेषित(द्वारा—आई०टी० मैनेजर, सामान्य प्रशासन विभाग)/
राचिव, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/कैरिएर
मैनेजमेंट डिविजन, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार, नॉर्थ ब्लॉक, नई दिल्ली/
स्थानिक आयुक्त, बिहार भवन, कौटिल्य मार्ग, चाणक्यपुरी, नई दिल्ली/महालेखाकार,
बिहार, पटना/राज्यपाल, बिहार के प्रधान सचिव, पटना/विकास आयुक्त, बिहार, पटना
/मुख्यमंत्री सचिवालय, बिहार पटना/मुख्य सचिव के प्रधान आप्त राचिव, बिहार, पटना
/मुख्य सचिव, बिहार के गोपनीय कोषांग, कम्यूटर सेल/संबंधित विभाग/संबंधित
पदाधिकारी/अवर सचिव (वैयक्तिक दावा निर्धारण कोषांग), वित्त विभाग, बिहार, पटना/
गृ. संपदा पदाधिकारी, भवन निर्माण एवं आवास विभाग, बिहार, पटना/आई०टी० मैनेजर
सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना(विभगीय वेबसाईट पर अपलोड करने एवं वित्त
विभाग को सी०टी० के साथ उपलब्ध कराने हेतु)/सामान्य प्रशासन विभाग के प्रशास्त्रा
पदाधिकारी, प्रशास्त्रा-1 एवं 6 को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यार्थ प्रेषित।

(कन्हैया लाल साह)

सरकार के अवर सचिव।